Annexure 'I'

पत्रांक-6/अ7-48/2002 935

प्रेषक

झारखंड-सरकार

मानव संसाधन विकास विभाग

माध्यमिक शिक्षा निदेशालय

प्रेषक,

श्री अलखदेव प्रसाद,

निदेशक(माध्यमिक शिक्षा)

झारखंड,रांची ।

सेवा में,

सचिव,

सी०बी०एस०ई०,नई दिल्ली ।

रांची, दिनांक 21 अप्रील,2003

विषय:- झारखंड राज्य के अन्तर्गत संचालित निजी विधालयों को सी०बी०एस०ई० से सम्बन्धन हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार कहना है कि मानव संसाधन विकास विभाग झारखंड सरकार के द्वारा विचारोपरान्त सी०बी०एस०ई० से राज्य के अन्तर्गत संचालित निजी विधालयों की सम्बद्धता के लिये निम्नांकित विधालयों को नीचे अंकित शर्त्तों एव बन्धेजो के अधीन अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने का निर्णय लिया गया है :-

क्रमांक-	विधालय का नाम
1.	ब्रीज फोर्ड स्कूल ,तुपुदाना,रांची
2.	टेन्डर हर्ट सिनियर सेकेण्ड्री विधालय,तुपुदाना,रांची
3.	राधागोविन्द पब्लिक स्कूल,जाराटोला,रामगढ़ कैन्ट
4.	ग्रिजली विधालय,तिलैया डैम,कोडरमा ।
5.	मर्क्स इन्टरनेशनल एकादमी,मधुपुर
6.	गीता देवी डी०ए०भी० पब्लिक स्कूल देवघर ।
7.	रेडरोज स्कूल,कास्टर टाउन,देवघर ।
8.	आर०के०पब्लिक स्कूल,गढ़वा ।
9.	सरस्वती शिशु विद्यामंदिर बाघमारा,धनबाद ।
10.	मार्डन पब्लिक स्कूल,झुमरी तिलैया,कोडरमा ।
11	श्री कृष्ण विदया मंदिर,विकास नगर,रामगढ़ कैन्ट ।
12.	सरस्वती शिशु विधा मंदिर,इकरा,रांची

कृ०पृ०उ०

क. शर्त्तें :-

1. विधालय की वार्षिक बचत आय 10% से अधिक नहीं हो ताकि यह प्रमाणित हो सके कि विधालय लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से स्थापित नहीं किया गया है । कुल आय का 10 प्रतिशत जो बचत होगी उसका उपयोग भी विधालय के विकास में किया जायेगा । विधालय में कार्यरत सभी कर्मियों को कम से कम राज्य सरकार में कार्यरत समकक्ष कर्मियों को देय वेतन एंव भत्ते के बराबर भुगतान करना होगा ।

2. विधालय को किसी प्रकार का अनुदान नहीं दिया जायेगा ।

3. विधालय को शहरी क्षेत्र में 2 एकड़ एंव ग्रामीण क्षेत्र में 4 एकड़ भूमि विधालय के नाम से निबंधित या कम से कम 30 वर्षों के निबंधन पट्टा/लीज पर होना चाहिये । यदि भविष्य में जाचोपरान्त भिन्न स्थिति पाई जायगी तो अनापत्ति प्रमाण-पत्र वापस लेने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा ।

4. विधालय में हिन्दी भाषा की पढ़ाई अनिवार्य रुप से होनी चाहिये ।

5. नामांकन हेतु किसी प्रकार का डोनेशन या कैपिटेशन फीस नहीं लिया जायगा ।

6. गरीबी रेखा से नीचे के छात्रों का 10 प्रतिशत स्थान नामांकन के लिए सुरक्षित होगा साथ ही सामान्य शुल्क 50 प्रतिशत शुल्क लिया जायेगा ।

7. विधालय का कार्य-कलाप राष्ट्रहित में होना चाहिये । विधार्थियों में राष्ट्रीयता का संचार, नैतिक तथा राज्य के सांस्कृतिक मूल्यों, ऐतिहासिक, भौगोलिक तथा वैज्ञानिक ज्ञान वर्द्धन शारीरिक एंव व्यक्तित्व विकास हेतु सकारात्मक प्रयास करना होगा ।

8. विधालय में छात्रों की समुचित संख्या एंव उसके अनुपात में शिक्षक होना चाहिये ।

9. विधालय में नामांकन प्रक्रिया, कर्मियों की संख्या एंव योग्यता एंव नियुक्ति प्रशिक्षण आदि में समय-समय पर राज्य सरकार समीक्षोपरान्त संशोधन कर सकेगी

10. विधालय संचालन हेतु गठित नियमावली के आधार पर गठित शासी निकाय के सदस्यों की कार्यावधि पूर्ण होने पर नये सदस्यों की सूची जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में जमा करना होगा ।

11. राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न प्रकार के एक्सटेन्सन प्रोग्राम तथा एन0सी0सी0, एन0एस0एस0स्काउट एंव गाईड आदि को सुचारु रुप से करना होगा ।

12. यदि कोई संस्था पूर्व से किसी बोर्ड से सम्बद्धता प्राप्त हो तो विभागीय परिपत्र संख्या-1055 दिनांक 5-9-2001 के अनुसार शर्त्तों का पालन करना होगा अन्यथा अनापत्ति प्रमाण-पत्र वापस लेने का सर्वाधिकार राज्य सरकार में सुरक्षित होगा ।

13. उपर्युक्त शर्त्तों या बन्धेजों के अनुपालन न करने की स्थिति में राज्य सरकार को अनापत्ति प्रमाण-पत्र रद्द करने का अधिकार होगा ।

14. अनापत्ति प्रमाण-पत्र के लिये विधालय द्वारा समर्पित कागजातों एंव अभिलेखों को जाली अथवा वास्तविक स्थिति से भिन्न पाया जाये या विधालय द्वारा राष्ट्र या राज्यहित के विरुद्ध किया जा रहा है हो या ऐसा कार्य जिससे सामाजिक कटुता फैलता हो तो सरकार निर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र को वापस ले सकती है ।

335
7/4/2003

15. विधालय द्वारा उपर्युक्त शर्त्तों एंव बन्धेजों को अनुपालन किया जा रहा

कृ0पृ0उ0

है अथवा नहीं इसकी जाँच समय-समय पर मानव संसाधन विकास झारखंड के सक्षम पदाधिकारी द्वारा की जायेगी तथा सरकार जब चाहें विधालय संस्था के वित्तीय एवं अकादमीय अनियमिततताओं की जाँच करा सकेगी और जाँचोपरान्त अनुवर्ती कार्रवाई कर सकेगी ।

16. एतद विषयक किसी प्रकार के न्यायिक मामलों का निपटारा माननीय झारखंड उच्च न्यायालय, रांची के क्षेत्राधिकार के अर्न्तगत होगा ।

17. समय-समय पर लोकहित में सरकार द्वारा विधालय सम्बन्धन संबंधी जो निर्णय लिए जायगें उसका अनुपालन करना अनिवार्य होगा अन्यथा शर्त्तों के उल्लघंन मानते हुए अनापति प्रमाण-पत्र वापस लेने के साथ-साथ अन्य कानूनी कार्रवाई भी की जा सकेगी ।

विश्वासभाजन

Aoh 21.4.2003

(अलखदेव प्रसाद)
निदेशक(माध्यमिक शिक्षा)
झारखंड, रांची ।

ज्ञापांक—935—/ रांची, दिनांक 21 अप्रील, 2003

प्रतिलिपि, संबंधित सभी क्षेत्रीय उप निदेशक/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी संबंधित विधालय के प्रधानाचार्य को सूचनार्थ प्रेषित ।

Aoh 21/4/2003

(अलखदेव प्रसाद)
निदेशक(माध्यमिक शिक्षा)
झारखंड, रांची ।

ज्ञापांक—935—/ रांची, दिनांक 21 अप्रील, 2003

प्रतिलिपि, माननीय मंत्री के आप्त सचिव / सचिव मानव संसाधन विकास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित ।

Aoh 21.4.2003

(अलखदेव प्रसाद)
निदेशक(माध्यमिक शिक्षा)
झारखंड, रांची ।